अ० शिक्षा

संख्याः 634 / XXIV-3/2006/2(35)/06

प्रेषक,

उषा शुक्ला,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 15 नवम्बर,2006

विषयः हिम ज्योति स्कूल देहरादून को भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक द हिमालयन स्कूल सोसाइटी, देहरादून के पत्र संख्याः एचएसएस/10/2006/2696 दिनॉक 5–10–2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हिम ज्योति स्कूल देहरादून को भवन निर्माण हेतु एक समय सहायता के रूप में (एकमुश्त) रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संख्याः 233/XXIV-3/2006 दिनॉक 27–4–2006 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

(2)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय।

(3)– स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 में प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुरूप नियमानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाय।

(4)– स्वीकृत धनराशि/उसके अंश का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाने की दशा में अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के समापन पर सरकार को समर्पित कर दिया जाय।

(5)- प्रश्नगत धनराशि व्यक्तिगत खाता लेखा में अन्तरित नहीं की जायेगी।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को या उसके अंश को किसी अन्य संस्था/शाखा, चाहे उसी संस्था की हो, उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7)- प्रश्नगत धनराशि का लेखा रखा जायेगा। जिसकी सम्परीक्षा प्रवृत्त किसी विधि के प्राविधानों, नियंत्रक तथा महालेखाकार के अधीन प्राधिकृत द्वारा किया जायेगा।

(8)- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(9)- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10)- भवन निर्माण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन संबंधित विद्यालय के प्रबन्धन को अपने निजी स्रोतों से करना होगा।

2- उक्त विद्यालय को अनुमन्य धनराशि अन्य विद्यालयों हेतु दृष्टान्त न माना जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक- 2202-सामान्य शिक्षा- 02-माध्यमिक शिक्षा- आयोजनागत-110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-06-हिम ज्योति स्कूल देहरादून को सहायता -20- सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1126/वित्त-3/06 दिनॉक 30-10-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव

संख्याः 634 (1)/XXIV-3/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, देहरादून।
8– कोषाधिकारी, देहरादून।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
10– संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
13– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव